5 रु. Rs.5 INDIA 29 JUN 2012 पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. 29 JUN 2012 पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 INDIA 29 JUN 2012 पाँच रुपये FIVE RUPEES

152

R-1919-I/12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड महोदय, म.प्र. ग्वालियर

मीना जुनेजा पत्नि स्व. श्री हरभजन सिंह जुनेजा,
निवासी–स्टेशनगंज, कृष्णा वार्ड, नरसिंहपुर
तहसील व जिला नरसिंहपुर..................................रिवीजनकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन ....उत्तरवादी

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि. द्वारा आज दि. 30-6-12 को प्रस्तुत
30-6-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता–1959

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्नानुसार प्रार्थना है :–

रिवीजनकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 22–अ/68 वर्ष–2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2012 से पीड़ित होकर अनेक आधार होते हुए निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करती है :–

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि रिवीजनकर्ता खसरा नंबर 216/2 रकबा 0.113 हे. भूमि मौजा कंदेली, नं.बं.–36, प.ह.नं.–17 तहसील व जिला नरसिंहपुर की मालिक काबिजदार भूमि स्वामी है एवं उक्त भूमि पर आवेदिका के पुत्र टाल का व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा उक्त भूमि पर लकड़ी एवं अन्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु तथा आरा मशीन की सुरक्षा हेतु एक गोदाम का निर्माण किया गया है, जो कि 80 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था एवं रिवीजनकर्ता या उसके पूर्वजों द्वारा जो भी निर्माण किया गया है वह स्वयं के हक–अधिकार की भूमि में किया गया है।

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट)
30/6/2012

2. यह कि राजस्व अधिकारी के आदेश पत्र राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवेदिका को बिना सूचना दिये झूठे आधारों पर पैमाईश कर प्रतिवेदन श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि आवेदिका 204X25 वर्गफुट भूमि पर अतिकमण किये हुए है।

3. यह कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसमें कि पैमाईश के सिद्धांतों के विपरीत प्रस्तुत किया गया था, जो नाप बिना चांदे, मुनारे मिलाये सर्व सीमांकन सिद्धांतों के विपरीत किया गया था, पर विश्वास कर तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया।

गेटवर कोई नहीं मिली

4. यह कि रिवीजनकर्ता के विरूद्ध पूर्व में भी तहसीलदार महोदय द्वारा धारा 248 के तहत् आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को माननीय न्यायालय कमिश्नर

-2- R 1919-I/2012 1

17-10-16

आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। जनाब शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

17/10/2-11
[illegible]

[क्र. प्र. उ.